राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(6)नविवि/3/81पार्ट–I जयपुर दिनांकः 22 FEB 2022

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06.10.2021 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना दिनांक 25.10.2016 द्वारा अधिसूचित भीलवाड़ा शहर नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान–2035 का अनुमोदन किया जा चुका है। नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के न्यास मण्डल की बैठक दिनांक 28.12.2021 में न्यास क्षेत्राधिकार में तैयार किये गये जोनल डवलपमेन्ट प्लान के संबंध में एवं न्यास मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया है कि भीलवाड़ा मास्टर प्लान–2035 में मौके की वस्तुस्थिति मध्यनजर मास्टर प्लान में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार न्यास के प्रस्ताव में लिये गये निर्णय एवं न्यास के प्रस्ताव अनुसार भीलवाड़ा मास्टर प्लान–2035 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त भीलवाड़ा मास्टर प्लान–2035 संशोधित की प्रति का अवलोकन नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

22/2/2022

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा ।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रालवी।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय